



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264193
CG-DL-E-27062025-264193

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]
No. 177]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/ आषाढ़ 5, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ ASADHA 5, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून 2025

मामला सं. एडी (एसएसआर – 06/2025)

विषय: चीन जन. गण. से मिथाइल एसीटोएसीटेट के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/12/2025– डीजीटीआर

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रूप में कहा गया है) को

ध्यान में रखते हुए, मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रूप में कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइल एसीटोएसीटेट" (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले वापस न ले लिया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांचों की पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7 जनवरी 2015 की अधिसूचना सं. 14/7/2014- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को अंतिम जांच परिणामों की अधिसूचना जारी की, जिसमें चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिथाइल एसीटोएसीटेट के आयातों के संबंध में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। संबद्ध वस्तुओं पर यह निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 31 मई, 2016 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 22/2016- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाया गया।
4. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के विरुद्ध दिनांक 03 मई 2021 की अधिसूचना सं. फा.सं.7/40/2020- डीजीटीआर के तहत प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। यह निष्कर्ष दिया गया कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा था और शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, आगे और भी पाटन होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना थी। इसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 03 मई 2021 की फा. सं.7/40/2020- डीजीटीआर के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को आगे बढ़ाने की सिफारिश की। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 मई, 2021 की अधिसूचना सं. 31/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगा दिया गया था। उक्त शुल्कों को जब तक कि पहले हटा नहीं लिया जाए, 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था और ये दिनांक 28 मई, 2026 को समाप्त होने हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि मूल जांच में है, मिथाइल एसीटोएसीटेट है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसार, उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"4. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद मिथाइल एसीटोएसीटेट है। मिथाइल एसीटोएसीटेट (जिसे एमएए/एमएआई/एएएमई के नाम से भी जाना जाता है) एक डाइकेटीन आधारित एस्टर या एसीटो-एसीटेट है। एमएए का रासायनिक सूत्र $C_5H_8O_3$ है और यह 99% शुद्धता पर, रंगहीन दिखने वाला एक स्पष्ट तरल है।

5. मिथाइल एसीटोएसीटेट को सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 29 में उप शीर्ष 29183040 के तहत 'मिथाइल एसीटोएसीटेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत विचाराधीन उत्पाद का समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण है, लेकिन आयात संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य कोडों जैसे 29146990, 29153910, 29153940, 291 53990, 29183090, 29331990, 29410090 और 29189900 के तहत भी आयात किया जा रहा है। अतः सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।"

6. यह तर्क दिया गया है कि अवधि में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है, विचाराधीन उत्पाद पिछली जांच में परिभाषित के समान है।

ग. समान वस्तु

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पटित किए गए आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित की गई संबद्ध वस्तुएं तथा आवेदक द्वारा निर्मित किए गए विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यो अथवा अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन करने योग्य हैं। वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को निरंतर जारी रखे जाने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। प्राधिकारी द्वारा समान वस्तु के मामले की जांच मूल जांच में भी की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित किए गए और आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. संबद्ध देश

8. चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः संबद्ध देश का दायरा मूल जांच में संबद्ध देश तक ही सीमित है, अर्थात् चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के विरुद्ध है।

ड. जांच की अवधि

9. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 (12 माह तक) है और क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

च. घरेलू उद्योग और आधार

10. यह आवेदन मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदन में यह अनुरोध किया गया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य घरेलू उत्पादक है, जिसका नाम जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड है। बाद में जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड ने अपना समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है। यह उल्लेखनीय है कि जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है।
11. उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक के उत्पादन में भारत में समान वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देश में किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं है।
12. इसे देखते हुए, उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

छ. पाटन की संभावना और निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति का आधार

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

13. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने इस बात के लिए कहा है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार द्वारा संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
14. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत अथवा कीमत अथवा वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेने के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को उचित रूप से शामिल गया है तथा इस पर जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

15. आवेदक ने अपनी बाजार जानकारी के अनुसार आयातों की मात्रा और कीमत पर विचार करके संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। जांच शुरू करने के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स डेटा पर विचार किया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, हैंडलिंग शुल्क और अंतर्देशीय बीमा के संबंध में समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जो कि *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक बना हुआ है और यह संबद्ध देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के सदर्थ में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को भारत के घरेलू बाजार में निरंतर पाटित किया जाना जारी है।

घ. निर्यातकों का नमूनाकरण

17. संबद्ध देशों से बड़ी संख्या में निर्यातक उत्पादकों की संभावित भागीदारी को देखते हुए, आवेदक ने निर्यातकों के नमूने लेने का अनुरोध किया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के लिए, तथा नियमावली के नियम 17 के अनुसार, प्राधिकारी नमूना लेने का सहारा ले सकते हैं, अर्थात् चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनों का उपयोग करके अपने निष्कर्षों को हितबद्ध पक्षकारों या सामानों की उचित संख्या तक सीमित कर सकते हैं, या संबद्ध देशों से निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत तक सीमित कर सकते हैं।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

18. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना से यह पता चलता है कि पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर आयातों की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन प्रतिकूल बना हुआ है। आवेदक ने पाटित किए गए आयातों में निरंतर वृद्धि, महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन, मौजूदा अधिशेष क्षमता, कीमत कटौती, कीमत कमी और घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता के संबंध में सूचना प्रदान की है, जो कि पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को स्थापित करने वाले कारक के रूप में हैं, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है।

झ. पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

19. और इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन को देखते हुए तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के संबंध में स्वयं संतुष्ट होते हुए, प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए तथा यह जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं कि क्या मौजूदा शुल्कों के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ञ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत उल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुति

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल के माध्यम से ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in पर किए जाने चाहिए और उसकी एक प्रति advl3-dgtr@gov.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रस्तुति का वर्णनात्मक भाग सर्च योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा संबंधी

फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों। फ़ाइलों तक पहुंच के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होने वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित फॉर्मेट में और निर्धारित तरीके से सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित फॉर्मेट में और निर्धारित तरीके से वर्तमान जांच के संबंध में अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं के संबंध में अपडेट और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

25. निर्दिष्ट प्राधिकारी को वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना, जिस दिन इसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था, उसके 30 दिनों के भीतर ई-मेल पते dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए तथा इसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना तथा अन्य दस्तावेजों के लिए मांग करने संबंधी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।
27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय-विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा तथा ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को, पाठनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार, उसके साथ-साथ उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
29. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों द्वारा गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल किए जाने की आवश्यकता है। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो प्रत्येक भाग में एक सूचीबद्ध तालिका प्रदान किए जाने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें सभी भागों/ ईमेल और संलग्न दस्तावेजों की सामग्री का उल्लेख किया जाए। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या देना सुनिश्चित करें।
30. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही से अनुदित पाठ प्रदान किया जाए।
31. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। बिना इस तरह का अंकन करके किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध किया जाना अथवा रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर संक्षेप में अनुरोध किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सारांश को समुचित रूप से समझने के लिए गोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार इस बात का संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश अतिसंवेदनशील नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उसका सारांश देना संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के गोपनीय पाठ प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
33. प्राधिकारी द्वारा, प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। यदि प्राधिकारी को ऐसा लगता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध करना उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसे सामान्य या सारांश रूप में प्रकट करने को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

34. गोपनीयता के दावे पर सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
35. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता संबंधी मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
36. प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं किया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों के गोपनीय पाठ को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली उत्तर अथवा अन्य अनुरोधों का गोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में यह गोपनीय आधार पर अनुरोध दाखिल करने के अगले दिन से बाद में नहीं होना चाहिए। अनुरोध/ उत्तर/ सूचना के गोपनीय पाठ को परिचालित करने में विफलता होने के कारण हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से मना करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी द्वारा ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित किया जा सकता है और वह अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्रीय सरकार को यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****INITIATION NOTIFICATION**New delhi, the 26th June, 2025**Case No AD (SSR – 06/2025)**

Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of Methyl Acetoacetate from China PR.

F. No.7/12/2025-DGTR.—

1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ' Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s Laxmi Organics Industries Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ' Authority'), for initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of “Methyl Acetoacetate” (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from China PR.
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of the previous investigations

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from China PR and USA was initiated by the Authority on 7th January 2015 vide notification No.14/7/2014-DGAD. The Authority notified final findings on 1st April, 2016 recommending definitive antidumping duty on imports of Methyl Acetoacetate from China PR and USA. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 22/2016-Customs (ADD) dated 31st May, 2016.
4. The Authority initiated 1st sunset review investigation vide Notification F.No.7/40/2020-DGTR dated 03rd May 2021 against China PR. It was concluded that there was continued dumping of subject goods from China PR and in the event of expiry of duties, there was likelihood of further

dumping and injury to the domestic industry. The Authority thereafter recommended extension of the definitive anti-dumping duties vide F.No.7/40/2020-DGTR dated 03rd May 2021. The same was imposed by Ministry of Finance vide Notification No. 31/2021-Customs (ADD) dated 29th May, 2021. The said duties were levied for a period of 5 years, unless revoked earlier, and are set to expire on 28th May, 2026.

B. Product under consideration

5. The product under consideration, as in the original investigation, is Methyl Acetoacetate. As per the sunset review investigation carried out by the Designated Authority, the product has been defined as under:

"4. The product under consideration in the present petition is Methyl Acetoacetate. Methyl Acetoacetate (also known as MAA/MAAE/AAME) is a Diketene based Ester or aceto-acetate. The chemical formula of MAA is C₅H₈O₃ and at 99% purity, it is a clear liquid with a colourless appearance.

5. Methyl Acetoacetate is classified in Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the subheading 29183040, as 'Methyl Acetoacetate". Though the product under consideration has dedicated customs classification under the Customs Tariff Act, on analyzing the import data, it has been observed that the product under consideration is being imported under various other codes as well such as 29146990, 29153910, 29153940, 291 53990, 29183090, 29331990, 29410090 and 29189900. Therefore, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the investigation. "

6. It has been contended that no significant developments have taken place over the period. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previous investigation.

C. Like article

7. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable. The present application is for sunset review investigation for the continued imposition of antidumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

D. Subject country

8. The investigation being a sunset review, the scope of the subject country is confined to the subject country in the previous investigation i.e. against the subject goods originating in or exported from China PR.

E. Period of Investigation

9. The period of investigation (POI) for the present investigation is January 2024 to December 2024 (12 Months) and the injury investigation period will cover the periods April 2021 to March 2022, April 2022 to March 2023 and April 2023 to March 2024 and the POI.

F. Domestic industry and Standing

10. The application has been filed by M/s Laxmi Organic Industries Limited. It has been submitted in the application that there is another domestic producer of the subject goods in India, namely, Jubilant Ingrevia Limited. Jubilant Ingrevia Limited has subsequently submitted its support letter. It is noted that Jubilant Ingrevia Limited started producing the subject goods during the injury period.
11. As per the information available on record, the production of the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article in India. The applicant has submitted that it is not related to any exporter or producer in the subject country.
12. In view of the same, on the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

G. Basis of likelihood and continuation or recurrence of dumping**a. Normal Value for China PR**

13. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.
14. The domestic industry has claimed that the data relating to cost or price in market economy third country or recourse to alternative methods are not available. The domestic industry has determined normal value for China PR based on the best estimates of cost of production in India with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits and the same has been considered for the purpose of initiation of the investigation.

b. Export Price

15. The applicant has determined the export price for the subject country by considering the volume and

value of imports as per its market intelligence. However, for the purposes of the initiation, the Authority has considered DG Systems data. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses, handling charges and inland insurance have been made.

c. Dumping Margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin continues to be above the *de minimis* level and significant in respect of the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country continues to be dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

d. Sampling of exporters

17. In view of the potential participation of a large number of exporting producers from the subject country, the applicant has requested for sampling of exporters. In order to complete the investigation within the prescribed time limits, and in terms of Rule 17 of the Rules, the Authority may resort to sampling i.e., limiting its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection or to the largest percentage of the volume of exports from the subject country.

H. Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link

18. Information provided by the applicant shows that the volume of imports continues to remain significant and at dumped and injurious price. It is also noted that the performance of the domestic industry continues to remain adverse. The Applicant has provided information with regard to continued dumped imports, significant dumping margin, existing surplus capacities, price undercutting, price depression and vulnerability of the domestic industry as factors establishing likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry should antidumping duty is allowed to lapse.

I. Initiation of sunset review of anti-dumping investigation

19. And therefore, in view of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of existing duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

J. Procedure

20. Principles, as stated under Rule 6 of the AD Rules, shall be followed in the present investigation.

K. Submission of Information

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and with a copy to adv13-dgtr@gov.in It should be ensured that the

narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS-Word format and data files are in MS-Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.

22. The known producers/ exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below.
23. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.
24. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

L. Time Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and with a copy to adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of Information of Confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response I submissions.
29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. In case, the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an

index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.

30. Where the original documents are in a language other than Hindi and English, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.
31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraphs of this initiation notification.
36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

37. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. The non-confidential version of the questionnaire response or other submissions should preferably be circulated to all other interested parties on the same day and, in no case, later than the day following the filing of submissions on a confidential basis. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

O. Non-Cooperation

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority